संख्या- 92/ 3944 /चार-2015-82(वि0)/13

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन , लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम -प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ के डायट परिसर में आडिटोरियम -प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या- 43 /1105 /चार-2015-82 (बजट)/13 दिनांक 25 मार्च , 2015 द्वारा कार्य की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा रू0 485.44 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। अनुमोदित लागत के सापेक्ष धनराशि रू0 80.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत कार्य हेतु द्वितीय चरण में धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- शासनादेश संख्या- 43 /1105 /चार-2015-82 (बजट)/13 दिनांक 25 मार्च , 2015 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

3- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि प्रथम किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति प्राप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी ।

4 - कार्य पूर्ण होने पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक -आयोजनागत- 4202-शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04- कला तथा संस्कृति - 800-अन्य व्यय-32-जनपद बदायूँ में प्रेक्षागृह के निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या- 92 / 3944 /चार-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, बदायूँ।
3-वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 को इस निर्देश के साथ कि कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे निदेशक, संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
6- महाप्रबन्धक जोन-7 उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 ,लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-6 , उ0प्र0 प्रोजेक्टस् कारपोरेशन लि0 ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।